राजस्व आवेदन संख्या 436/2023 अनवान चंदाराम बनाम राजाराम वगैरह

		नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

14/02/25

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण के उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 07 स्व. धूड़ाराम के वंशज एवं विधिक वारिश है, जिनकी संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती, पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 215/1 रकबा 7.6890 हैक्टयर खसरा नम्बर 218/29 रकबा 0.2752 हैक्टयर खसरा नम्बर 220/29 रकबा 34.9324 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 217/1 रकबा 15.3457 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की संयुक्त कब्जा–काश्त की आई हुई है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। वर्तमान में मौके पर हिस्सों एवं मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उसके हिस्से पर कब्जे–काश्त में बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने में कामयाब होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती, पटवार हल्का मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 215/1 रकबा 7.6890 हैक्टयर खसरा नम्बर 218/29 रकबा 0.2752 हैक्टयर खसरा नम्बर 220/29 रकबा 34.9324 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 217/1 रकबा 15.3457 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] प्रस्तुत कर बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण [illegible] पूर्व पुरुष धूड़ाराम के चारों लड़के वक्त सेटलमेन्ट से अलग होकर निवास करते आ रहे है तथा अप्रार्थीगण अपनी अलग ढाणी बनाकर निवासी कर रहे है। [illegible]रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:06:43 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 218/29 व 220/29 मूल खसरा संख्या 29 से विभक्त है। खसरा संख्या 29 को बांकाराम व शिवलाल ने पंजीबद्ध बेचान से खरीद की थी तथा बाद में बांकाराम व शिवलाल ने हेमाराम व करनाराम को अपने सहखातेदार के रूप में बेचान कर इस जमीन पर 1/4-1/4 हिस्सा रखा गया। प्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृति के लोग है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि में जबरन कब्जा काश्त कर अप्रार्थीगण को मौके पर कब्जा काश्त से महरूम करने पर उतारू है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमावें।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज एवं प्रार्थना-पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 09 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती, पटवार हल्का मूढ़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 215/1 रकबा 7.6890 हैक्टयर खसरा नम्बर 218/29 रकबा 0.2752 हैक्टयर खसरा नम्बर 220/29 रकबा 34.9324 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 217/1 रकबा 15.3457 हैक्टयर भूमि में आई हुई है। प्रार्थीगणों द्वारा खातेदारें घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किये गये है जिसका निर्णय बाद मेरट पर किया जा सकेगा तथा प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। लिहाजा प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] तक उभयपक्ष के विरुद्ध इस आशय की जारी की [illegible] जटिया कुम्हारों की बस्ती, पटवार हल्का मूढ़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 215/1 रकबा [illegible]6890 हैक्टयर खसरा नम्बर 218/29 रकबा 0.2752 हैक्टयर खसरा नम्बर 220/29 रकबा 34.9324 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 217/1 रकबा 15.3457 हैक्टयर भूमि में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। निर्णय सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसला [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:06:43 IST
Reason: SelfAttested